संख्या-45/2022/869/सत्तर-4-2022 /001-70-4099-1-2022

प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,
1. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
3. महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
4. जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
5. छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
6. बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक 20 अप्रैल, 2022**

विषय:- "सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना" हेतु अनुदान की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अधीन गठित एक्सपर्ट पैनल से कराया गया। अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या-266/रा0उ0शि0प0/4/10 ।।, दिनांक 28.06.2021 एवं पत्र संख्या-129/रा0उ0शि0प0/4/10 ।।, दिनांक 21.03.2022 द्वारा एक्सपर्ट पैनल की संस्तुतियां उपलब्ध करायी गयी। उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध करायी गयी एक्सपर्ट पैनल की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरांत निम्नलिखित विवरण के अनुसार सेंटर आफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 1,14,63,000/- (रूपये एक करोड चौदह लाख तिरसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0	को-आर्डिनेटर का नाम	विषय	संस्तुत धनराशि का मदवार विवरण	
			मद	धनराशि (रूपये में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ			
1	Dr. Amritesh Chandra Shukla (Department of Botany)	Processing and Value Additions with Fungi	उपकरण	100000
			शोध सहायक	250000
			यात्रा एवं पुस्तकें	100000
			आकस्मिक व्यय	100000
			योग	**550000**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी			
2	Dr. Shilpi Gupta (Department of Law)	तीन तलाक को समाप्त करने सम्बन्धी कानून का मुस्लिम महिलाओं की प्रास्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययनः वराणसी, गाजीपुर, भदोही एवं आजमगढ जिलों के विशेष सन्दर्भ में।	रिसर्च इन्वेस्टीगेटर-1	200000
			पुस्तकें एवं पत्र-पत्रिकाएं	50000
			यात्रा तथा क्षेत्र कार्य प्रत्येक जिले के लिए	50000
			आकस्मिक व्यय	50000
			योग	**350000**
3	Dr. Durgesh Kumar Upadhyay (Department of Psychology)	Music and Mental Wellness for All: Music Therapy Cell and Research Centre	बुक्स एण्ड जर्नल्स	50000
			आकस्मिकता	50000
			एक्टिव म्यूज़िक थैरेपी रूम	250000
			रिसेप्टिव म्यूज़िक थैरेपी रूम	190000
			योग	**540000**
	महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली			
4	Prof. K.P. Singh (Dept. Of CSIT)	Atal Centre for Artificial Intelligence	ए.आई. वर्क स्टेशन-1	500000
			एग्रीकल्चर ड्रोन-1	900000
			वेजीटेशन इंडिसेज़ मेज़रिंग डिवाइस-1	150000
			मल्टीस्पेक्ट्रल/ थर्मल कैमरा-1	300000
			डी.एस.एल.आर. कैमरा-1	100000
			डिस्प्ले डिवाइस-1	200000
			योग	**2150000**
	जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय,बलिया			
5	Prof. Kalplata Pandey (Dept. of Social Work)	बलिया में पर्यटन विकास एवं सांस्कृति विथिका निर्माण हेतु उत्कृष्ठता केन्द्र की स्थापना से सम्बन्धित प्रस्ताव	भू-सर्वेक्षण एवं अन्य यात्राएं	100000
			विविध उपकरण एवं पुस्तकें	100000
			स्टेशनरी, टाइपिंग एण्ड मैप बिल्डिंग	150000
			फोटोग्राफी एण्ड ब्रोशर	150000
			बिल्डिंग ऑफ गैलरी, इलेक्ट्रीफिकेशन एण्ड	300000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

			शोकेस एण्ड टेलीविज़न मैनेजमेंट	
			ट्रेनिंग/वर्कशाप	100000
			योग	**900000**
	छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर			
6	Dr. V. Shreeharsha Rachapudi (Dept. of Life Science)	Agri-biomass Valorisation with Novel Yeast Strains towards bio energy and biofuels	प्रोजेक्ट फेलो	180000
			आकस्मिकता	35000
			उपभोज्य सामग्री	150000
			फील्ड वर्क	20000
			योग	**385000**
7	Dr. Ajay Kumar Pandey (Dept. of Life Science)	Integrated Process development for high yield Ethanol production through efficient saccharification and co-fermentation	प्रोजेक्ट फेलो	180000
			आकस्मिकता	50000
			उपभोज्य सामग्री	200000
			फील्ड वर्क	20000
			योग	**450000**
8	Dr. Rajeev Mishra (Dept. of Life Science)	Identifying Role of RasGAP genes in triple negative breast cancer (TNBCs): A potential target for therapeutic resistance in breast cancer.	प्रोजेक्ट फेलो	180000
			आकस्मिकता	50000
			उपभोज्य सामग्री	200000
			यात्रा/फील्ड वर्क	15000
			योग	**445000**
9	Dr. Alok Pandey (Dept. of Bio-technology)	Understanding the pathogenecity mechanism of Xanthomonas oryzae pv. oryzae, the causal agent of bacterial blight of rice	प्रोजेक्ट फेलो	180000
			आकस्मिकता	48000
			उपभोज्य सामग्री	200000
			यात्रा/फील्ड वर्क	20000
			योग	**448000**
10	Dr. Soni Gupta (Dept. of Life Science)	Morpho-genetic variability in Indian Senna (Senna alexandrina Mill.) from different agro-climatic zones	मैन पावर	96000
			आकस्मिकता	25000
			उपभोज्य सामग्री	150000
			यात्रा/फील्ड वर्क	25000
			योग	**296000**
11	Dr. Shilpa Deshpande Kaistha (Dept. of Biotechnology)	Biodiversity Studies of Soils treated with bacteriophage as phytopathogen control agent	उपकरण	600000
			प्रोजेक्ट फेलो	180000
			प्लास्टिकवेयर/ ग्लासवेयर/ केमिकल्स	100000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

			आकस्मिकता	25000
			योग	**905000**
12	Anuradha Kalani (Dept. of Life Sciences and Biotechnology)	Design and Development of a Diagnostic Kit for early detection of diabetic Nephropathy	उपकरण	500000
			प्रोजेक्ट फेलो	180000
			आकस्मिकता	30000
			उपभोज्य सामग्री	150000
			यात्रा/फील्ड वर्क	20000
			योग	**880000**
13	Dr. Chandresh Sharma (Dept. of Biotechnology)	Establishment of Recombinant-Gene-product-Platform for developing utility tools in improved diagnosis and effective therapy	प्रोजेक्ट फेलो	180000
			आकस्मिकता	20000
			उपभोज्य सामग्री	70000
			यात्रा/फील्ड वर्क	30000
			योग	**300000**
14	Dr. Pramod Kumar Yadav (Dept. of Life Sciences)	Isolation, Characterization and Application of Natural Products relevant in Human health from Agro-wastes	प्रोजेक्ट फेलो	180000
			उपभोज्य सामग्री	100000
			आकस्मिकता	50000
			यात्रा/फील्ड वर्क	20000
			योग	**350000**
15	Dr. Gaurav Kumar (Dept. of Life Science)	Understanding and evaluating temporal neuroimmunological and neurogenesis response post Traumatic brain injury	प्रोजेक्ट फेलो	180000
			उपभोज्य सामग्री	150000
			आकस्मिकता	50000
			यात्रा/फील्ड वर्क	20000
			योग	**400000**
16	Dr. Rolee Sharma (Dept. of Life Science)	Transcriptional Analysis innate immune responses induced by Anti-TB drug loaded biodegradable Glucan particles within Mycobacteria infected Macrophage	उपकरण	800000
			प्रोजेक्ट फेलो	120000
			उपभोज्य सामग्री	150000
			आकस्मिकता	20000
			यात्रा/फील्ड वर्क	20000
			योग	**1110000**
17	Dr. Ranjana Gautam (Dept. of Life Science)	Investigating the role of Artemisia ALDHs genes in artemisin biosynthesis and Bitrytis resistance	प्रोजेक्ट फेलो	144000
			उपभोज्य सामग्री	150000
			आकस्मिकता	50000
			यात्रा/फील्ड वर्क	10000
			योग	**354000**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी			
18	Dr. Rajesh Kumar Saini (Dept. of Mathematical Sciences and Computer Applications Institute of basic sciences)	Advanced Simulation Lab	उपकरण	400000
			साफ्टवेयर्स	250000
			योग	**650000**
			महायोग	**11463000**

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय शोध सहायक/केमिकल, ग्लासवेयर आदि/यात्रा व्यय एवं डाटा कलेक्शन आदि/आकस्मिक व्यय पर किया जाएगा।

(2) प्रश्नगत योजना से संबंधित कार्यों हेतु किसी भी दशा में कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा कोई डिप्लोमा/प्रशिक्षण कोर्स संचालित नहीं किये जाएंगे।

(3) योजनांतर्गत पूर्व में स्वीकृत धनराशि का मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र व प्रगति आख्या वित्तीय वर्षवार शासन को संकलित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) सेंटर आफ एक्सीलेंस योजनांतर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश प्रभावी रहेंगे। विश्वविद्यालय स्तर पर योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों की मानीटरिंग की जायेगी तथा शासन को अवगत कराया जायेगा। योजनांतर्गत जो भी बुक्स/प्रकाशन किये जाएँगे उसमें योजना का नाम एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का उल्लेख अवश्य किया जायेगा।

(5) एक्सपर्ट पैनल द्वारा परियोजना प्रस्ताव का किये गये परीक्षण/मूल्यांकन की प्रति संलग्न है।

(6) धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत सामग्री क्रय हेतु सुसंगत वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा। सामग्री के अनुरक्षण आदि पर होने वाला व्यय विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा । इस प्रस्ताव पर यदि और धनराशि की आवश्यकता होती है तो विश्वविद्यालय द्वारा उक्त का वहन अपने स्रोतों से किया जायेगा ।

(7) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सुसंगत वित्तीय नियमों एवं स्टोर परचेज रूल्स आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा। यदि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोई अंश शेष बचता है तो वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में शासन को समर्पित किया जायेगा।

(9) इस अनुदान को उपयोग अनुमोदित मदों पर ही किया जायेगा। अस्थाई रूप से भी इसका कोई भाग अन्य अनानुमोदित मदों, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता व मानदेय कार्यों के लिए तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर व्यय नही किया जायेगा।

(10) उक्त धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(11) इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-01 के नियम 16ए में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।

(12) इस अनुदान पर राज्य विश्वविद्यालयों को ब्लाक ग्राण्ट देने की व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या-1371/15(15)/95-46(55)/94 दिनांक 04 मई, 1995 द्वारा निर्धारित नियम व शर्ते लागू होंगी। तदनुसार ही विश्वविद्यालय द्वारा व्यय किये जायेंगे और व्यय के विवरण तत्काल शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(13) लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के अनुदान को छोडकर शेष विश्वविद्यालयों के अनुदान पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रतिहस्तावक्षर करेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,14,63,000 (रुपये एक करोड़ चौदह लाख तिरसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 073 **लेखा शीर्षक** 2202031024900 सेण्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना **मानक मद** 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक-30 दिसंबर, 2021 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या: 5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक- 29 मार्च 2022 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

मनोज कुमार

विशेष सचिव।

संख्या-45/2022/869(1)/सत्तर-4-2022/001-70-4099-1-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. संबंधित कोषाधिकारी।
5. संबंधित, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी ।
6. अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल इन्दिरा भवन लखनऊ को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11
8. अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि को तत्काल आनलाइन Grid (Budget) Allotment कर उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग-4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सर्वेश कुमार सिंह

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in